

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

//आदेश//

क्र/५५०/अ.जि.द/एस. डब्ल्यू/2020
प्रति,

बलौदाबाजार, दिनांक 21/03/2020

समस्त बस संचालक/बस मालिक

.....
.....


जिला बलौदाबाजार (छ.ग.)

विषय:- कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में संचालित होने वाली बस परिवहन सेवा को स्थगित रखने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य में भी प्रकाश में आया है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम हेतु लोकहित में यह आवश्यक है कि बलौदाबाजार जिले में मंजिली अनुज्ञा में संचालित होने वाली बस परिवहन सेवा को स्थगित किया जावे।

अतः तत्काल प्रभाव से मंजिली अनुज्ञा पत्र में आच्छादित समस्त यात्री वाहनों का संचालन दिनांक 29.03.2020 तक स्थगित किया जाता है।


21-03-2020
कलेक्टर


एवं जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)

क्र/५५१/अ.जि.द/एस. डब्ल्यू/2020

बलौदाबाजार, दिनांक 21/03/2020

प्रतिलिपि:-

1. छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परिवहन अधिकारी, बलौदाबाजार - भाटापारा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. यातायात प्रभारी, बलौदाबाजार/भाटापारा/सिमगा/ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. अध्यक्ष, बस मालिक संघ की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
बलौदाबाजार-भाटापारा (छ0ग0)